# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 119/2016

काशीराम दतक पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी चिसतिया तहसील व जिला हनुमानगढ हाल चक 15 एस जे एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. सुनील कुमार
2. बलराम
3. पूनम

} पिसरान रजीराम

4. कृष्णलाल पुत्र पतराम
5. सतपाल पुत्र पतराम

} जाति मेघवाल निवासी 15 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

6. स्टेट आफ राजस्थान । ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ दिनांक 08.08.2016

उपस्थितः—

श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सोहनलाल जोशी अभिभाषक रेस्पोडेन्टान
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 188, 53 के तहत पेश कर कथन किया गया कि वादी/अपीलांट श्योकरण का दतक पुत्र है। अतः श्योकरण की भूमि चक 15 एस.जे.एम. के प.न. 280/387 मु.नं. 13 व प.न. 280/388 मु.नं. 20 की कुल 50 बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि को आगे रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करे।

प्रतिवादीगण ने जबाव दावा मय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी श्योकरण का भतीजा नहीं है तथाकथित खोलानामा शून्य है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी ने गलत तथ्यों को आधार पर वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे। वादी/अपीलांट ने आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 08.08.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का जबाव दावा आ चुका था जिसके आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर साक्ष्य लेकर ही वाद का निर्णय करना चाहिए था। अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत खोलानामा है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर ही निरस्त कराया जा सकता है। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2016 आर.आर.डी. 782 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट श्योकरण का भतीजा नहीं है, न ही दतक पुत्र है उसे वाद लाने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो अधी.न्यायालय ने स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

23/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पों. का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट का दावा खारिज किया है जबकि दावा साक्ष्य आधारित निर्णित होने योग्य से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अधी.न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट का दावा इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट ने जिस गोदनामे के आधार पर घोषणात्मक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है वह खोलानामा जिस श्योकरण द्वारा काशीराम को गोद लेना जाहिर किया है वह गोदनामा श्योकरण द्वारा निरस्त कर गोदनामा निरस्तीकरण का दस्तावेज का दस्तावेज निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाने से काशीराम के गोद पुत्र होने का अधिकार खत्म होकर श्योकरण के प्राकृतिक Biological पुत्र रजीराम में निहित हो गये। अतः काशीराम श्योकरण का गोदपुत्र नहीं रहने से उसकी Legal locus-standai नहीं रहने से दावा barred by Law होने से खारिज किया गया है।

अपीलांट की अपील में दो मुख्य आपत्तियां जाहिर की है प्रथम कि दावा में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य संग्रहित होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय योग्य था का जबाव रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहित के आदेश 14 नियम 2(2) के प्रावधान लागू होना जाहिर किया जिसका पठन किया कि order 14 Rule2(2) where issues both of law and of fact arise in the same suit, and the Court is of opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only, it may try that issue first"

रेस्पो. श्योकरण के प्राकृतिक पुत्र का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 इसी विधि विवाधक का निपटारा करते हुए अधी.न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की आपत्ति खारिज योग्य है।

23/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट की दूसरी आपत्ति कि गोदनामा निरस्त नहीं किया जा सकता, गोदनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है उसे केवल सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके ही निरस्त करवाया जा सकता है बाबत अभिभाषक रेस्पो. द्वारा सन्दर्भ कानूनी बिन्दु दर्शाये जिसमें राजस्थान पंजीयन नियम 1955 वोल्युम I के नियम 181 व 182 में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें वे दस्तावेज सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त किये जायेगे, जिसमें दो पक्षकारों के मध्य हित को लेकर विवाद हो, परन्तु प्रकरण हाजा में दो पक्षकारों के बजाय स्वयं श्योकरण द्वारा गोदनामा निरस्त कर निरस्तीकरण का दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया है, बाबत भारतीय पंजीयन अधिनियम एवं मुद्राक अधिनियम के सन्दर्भ प्रावधान पढ़कर सुनाये यथा दस्तावेज के निरस्तीकरण बाबत The Rajasthan Stamps Law Adaption Act 1952 के second schedule के आर्टिकल 17 में specific provision होकर देय मुद्रांक निर्धारित किये है इस सम्बन्ध में और अधिक स्पष्ट करने हेतु मुद्राक अधिनियम का प्रावधान का Text दर्शाया कि Indian Stamp Act 1899 की धारा 2(14) में Instrument परिभाषित है'' Instrument includes every document by which any right or any liability is or purports to be created transferred, limited, extenteded, extinguished or recorded.

इस तरह के दस्तावेज भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(2) V के प्रावधानुसार Compalsarily registrable किये है। अपीलांट जिस खोलानामा दिनांक 08.04.1975 के आधार पर अपने हित सृजन का अनुतोष चाहा है बाबत स्वयं श्योकरण व जिसने पूर्व में खोलानामा निरस्तीकरण पंजीयन करवाया था को निरस्त करने का दस्तावेज निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया है जिसका सन्दर्भ हिस्सा है कि मनके श्योकरण वल्द रावताराम जाति मेघवाल सा. 15 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का हूँ जोकि मिकर ने तारीख 08.04.75 को खोलानामा बहक काशीराम पुत्र श्री जेठाराम लोगूवाला तहसील सूरतगढ हाल 15 एस.जे.एम. वा रजीराम पि. श्योकरण जाति मेघवाल 15 एस.जे.एम. के हक में एस.आर. अनूपगढ द्वारा करवाई है मगर काशीराम मेरे हक में नहीं है, न ही मेरा कहना मानता है बल्कि मेरा कहना मानता है जो खोलानामा बहक काशीराम ता. 8.4.75 को करवाया है वह कैन्सल समझा जावे।

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अगर काशीराम किसी प्रकार रजिस्टरी मेरी मृत्यु के बाद करवाई करे तो ना की जावे ना ही काशीराम आज से मेरी जायदाद का किसी प्रकार का हकदार है, न ही आज से खोलायत है बल्कि मेरा असली लडका रजीराम मालिक है लिहाजा यह खोलानामा कैन्सिल पत्र अपनी राजी खुशी बिला नशे पते के तहरीर कर दिया।

अतः श्योकरण को गोदनामा निरस्त करने के विधिक अधिकार प्राप्त होकर खोलानामा निरस्त किया गया है एवं पंजीबद्ध होने की तिथि से काशीराम की श्योकरण की सम्पति में Legal locus-standai खत्म हो गई जो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 (d) की परिधि में आता है जिसकी Bare-reading है कि आदेश 7 नियम 11( d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law.

अतः अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 More spcefically 11 (d) के तहत विधि अनुकूल स्वीकार कर अपीलांट का दावा खारिज किया है, जिसमें हस्तक्षेप की गुजांइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर